न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 04/2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री जोधराज पांचाल (पॉश कोड–8524) पुत्र श्री भैरूलाल पांचाल निवासी भटवाड़ा, तहसील–मांगरोल, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली एड. (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 03.03.2025

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 35–42 दिनांक 06.04.2023 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 36791 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 1396–1404 दिनांक 20.04.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 373/2006 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 36791 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 993357/– की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र । प्रस्तुत करने पर दिनांक 02.08.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही [illegible] वसूली राशि PDR [illegible] के अधीन वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच में कोई लिखित [illegible] एवं करार नहीं है, बल्कि अप्रार्थी ने राजस्थान राज्य के अधीन रसद विभाग द्वारा [illegible] के लाईसेंस के आधार पर कार्य किया है, जिसमें रसद विभाग के नियंत्रण एवं [illegible] में ही अप्रार्थी ने वितरण का कार्य किया है, जो वर्ष 2024 तक जारी [illegible] आशय का नोटिस [illegible] जांच या कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थी को [illegible] बकायादार घोषित न [illegible]। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

ने अप्रार्थी के विरूद्ध सितम्बर 2016 से फरवरी 2024 तक 367.91 क्विं. गेंहू का गबन एवं बकाया वसूली बतायी है, जबकि अप्रार्थी ने दिनांक 04.06.2023 को अटेचमेन्ट डीलर रामदयाल मीणा पुत्र कालूलाल मीणा ने चार्ज लेते समय कथन किया कि मैने जोधराज से केवल पोश मशीन प्राप्त की है, गेंहू बी.पी.एल. 254.95 कि0ग्राम अति. गेंहू 112.96 कि0 ग्राम एवं चीनी 53 कि0 ग्राम प्राप्त नहीं की, अर्थात उस समय नियमानुसार स्टाक व वितरण के अनुसार अप्रार्थी के पास यह स्टॉक ही होना था, फिर किस प्रकार गबन हुआ। अतः वसूली कार्यवाही निरस्त फरमावें।

4— जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5— दौराने बहस पेरोकार रसद अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से हमने एकपक्षीय बहस वकील अप्रार्थी की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही बकाया वसूली राशि PDR Act के अधीन वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच में कोई लिखित संविदा एवं करार नहीं है, अप्रार्थी ने दिनांक 04.06.2023 को अटेचमेन्ट डीलर रामदयाल मीणा पुत्र कालूलाल मीणा ने चार्ज लेते समय कथन किया कि मैने जोधराज से केवल पोश मशीन प्राप्त की है, गेंहू बी.पी.एल. 254.95 कि0ग्राम अति. गेंहू 112.96 कि0 ग्राम एवं चीनी 53 कि0 ग्राम प्राप्त नहीं की, अर्थात उस समय नियमानुसार स्टाक अप्रार्थी के पास मौजूद था। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने गेंहू का कोई गबन नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार भटवाडा को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश प्रार्थी को प्रदान करें।

7— हमने बहस अप्रार्थी पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया कि अप्रार्थी ने स्वंय जवाब में अंकित किया है कि दिनांक 04.06.2023 को अटेचमेन्ट डीलर रामदयाल मीणा पुत्र कालूलाल मीणा ने चार्ज लेते समय कथन किया कि मैने जोधराज से केवल पोश मशीन प्राप्त की है, गेंहू बी.पी.एल. 254.95 कि0ग्राम अति. गेंहू 112.96 कि0 ग्राम एवं चीनी 53 कि0 ग्राम प्राप्त नहीं की। इससे स्पष्ट है कि उक्त सामग्री ना तो अप्रार्थी ने उपभोक्ताओं को वितरित की तथा ना ही अटेचमेन्ट डीलर को संभलाई। इसी आधार पर अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 373/2006 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/— रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 993357/—रू. वसूली योग्य निकाली गई है।

8— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री जोधराज पांचाल (पॉश कोड—8524) पुत्र श्री भैरूलाल पांचाल निवासी भटवाड़ा, तहसील—मांगरोल, जिला—बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 993357/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:25 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)